न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 338/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – **1.हवली पत्नि अजीम, जाति मुसलमान**
निवासी रबासर, तहसील सेड़वा

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार सेड़वा
2.मोहम्मद वल्द हाजी बचल

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री फताराम गोदारा**

निर्णय

दिनांक :– 21.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रबासर में प्रार्थीनी के पति स्व. इब्राहीम की खातेदारी का खेत खसरा सं. 211 रकबा 206.08 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पूर्व पति इब्राहीम के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थीनी के पति इब्राहीम का देहान्त हो जाने से उसकी फौतगी का नामान्तरकरण सं. 132 जरिये ग्राम पंचायत आलमसर द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में पारित किया गया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम भूलवश हवली के स्थान पर हवा अंकित हो गया।

प्रार्थीनी के पति इब्राहीम के फोत होने पर प्रार्थीनी का सामाजिक रीति रिवाज अनुसार पुनःविवाह अजीम पुत्र हाजी जुसब के साथ होने से प्रार्थीनी वादग्रस्त खसरा सं. 211 रकबा 206.08 बीघा भूमि में अपने पति का नाम इब्राहीम के स्थान पर अजीम करवाने की अधिकारी है।

प्रार्थीनी एक गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है उसे कभी राजस्व रेकर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रार्थीनी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान, पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास, आधारकार्ड आदि में प्रार्थीनी का नाम हवली पत्नि अजीम अंकित है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम हवा पत्नि इब्राहीम अंकित है। प्रार्थीनी के वर्तमान पति का नाम अजीम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम हवा बेवा इब्राहीम के स्थान पर हवली पत्नि अजीम अंकित

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नहीं किया जाता है तो प्रार्थीनी के हकूको पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए प्रार्थीनी अपना नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प रबासर में पेश हुई । उक्त प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा रबासर में प्रार्थीनी के पति स्व. इब्राहीम की खातेदारी का खेत खसरा सं. 211 रकबा 206.08 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पूर्व पति इब्राहीम के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थीनी के पति इब्राहीम का देहान्त हो जाने से उसकी फौतगी का नामान्तरकरण सं. 132 जरियें ग्राम पंचायत आलमसर द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में पारित किया गया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम भूलवश हवली के स्थान पर हवा अंकित हो गया। प्रार्थीनी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान, पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास, आधारकार्ड आदि में प्रार्थीनी का नाम हवली पत्नि अजीम अंकित है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम हवा पत्नि इब्राहीम अंकित है। प्रार्थीनी के वर्तमान पति का नाम अजीम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम हवा बेवा इब्राहीम के स्थान पर हवली पत्नि अजीम अंकित करना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा रबासर के खसरा सं. 211 रकबा 206.08 बीघा में प्रार्थीनी का नाम हवा बेवा इब्राहीम के स्थान पर हवली पत्नि अजीम अंकित करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प रबासर में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 1106 दिनांक 25.05.18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 338 / 17 अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. अनवान हवली बनाम तहसीलदार सेड़वा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन